डायरी संख्या 3727/क०कें०सि०वि०
दिनाँक 4/9/20 लखनऊ

षष्टम अनुस्मारक/सर्वोच्च प्राथमिकता/तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्यालय प्रबन्ध अनु0-4)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः628/का.प्र.अनु.-4 लखनऊः दिनाँकःअगस्तः 27 :2020

विषयःउत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) की संस्तुतियों पर साक्ष्य अंशों की पुष्टि करने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (शारदा/शारदा सहायक/रामगंगा/बेतवा/सोन/गंगा/पूर्वी गंगा/नलकूप वाराणसी), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,

कृपया उपरोक्त विषयक विशेष सचिव, सिचांई एवं जल संसाधन अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक-263/27-12-2020-10(6)/2017, दिनांक-14/08/2020(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) की दिनांक-04/12/2019 को सम्पन्न साक्ष्य बैठक की कार्यवाही में अपने तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये साक्ष्य अंशो कि पुष्टि करते हुए कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओ की अनुपालन आख्या/सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा स्पष्ट मुहर सहित समिति के विचारार्थ रखे जाने हेतु 06-06 प्रतियों में शासन को एक सप्ताह कें अन्दर उपलब्ध कराने की वाँछना की गयी है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांकः70/का.प्र.अनु.-4, दिनांकः30.1.2020, पत्रांकः150/का.प्र.अनु.-4,दिनांकः27.2.20, पत्रांकः191/का.प्र.अनु.-4, दिनांकः05.3.20, पत्रांकः239/का.प्र.अनु.-4, दिनांकः18.5.20 एवं पत्रांकः371/का.प्र.अनु.-4,दिनांकः29.6.20 द्वारा वांछित आख्या/सूचना तीन दिवस में उपलब्ध कराने का अनुरोध आपसे पूर्व में किया जा चुका है परन्तु पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके अभाव में सूचना/आख्या शासन को भेजी नहीं जा सकी है। शासन द्वारा विपरीत निर्णय लिये जाने पर आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि शासन की वांछनानुसार शासन के पत्र एवं विधान मण्डल समिति के पत्र में इंगित बिन्दुओं पर अपने-अपने संगठनों से सम्बन्धित (कोठी/डाक बंगला का नवीनीकरण/जीर्णोद्धार) एवं समिति के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर सूचना/आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे वांछित सूचना/आख्या शासन को भेजी जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

(राकेश कुमार चौबे)
नोडल अधिकारी/
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-5)

पृष्ठांकन संख्याः628/का0प्र0अनु0-4/तद्दिनाँकः 27/08/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- विशेष सचिव, सिचांई एवं जल संसाधन अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांकः263/27-12-2020-10(6)/2017, दिनांकः14.8.20 के संदर्भ में।
2- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन)सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
4- अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त पत्र सिंचाई विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

24-08-2020

(राकेश कुमार चौबे)
नोडल अधिकारी/
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-5)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

श्री स.प्रो.वि.सहा./ श्रीमती प्रतिभा
07/09/2020

(5)

पत्र संख्या-354/ मु०अ०स्तर-1 कार्मिक दिनांक 21/08/2020

18/08/20

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता/अनुस्मारक.3

संख्या- 263/27-12-2020-10(6)/2017

प्रेषक,

प्रेम रंजन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

ह०सं० 5760 / शासन
प्रमुख अभि० (सिंचाई)
दिनांक 17/8/2020

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(2) प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-12 लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2020

विषयः- उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2017-18) की संस्तुतियों पर साक्ष्य अंशों की पुष्टि करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 52 /27-12-2020-10(6)/2017, दिनांक 10-06-2020, पत्र संख्या- 111 /27-12-2020-10(6)/2017, दिनांक 29-04-2020 एवं पत्र सं0-212/27-12-2020-10(6)/2017, दिनांक 10-06-2020, कृपया का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2017-18) की दिनांक 04-12-2019 को सम्पन्न साक्ष्य बैठक की कार्यवाही में अपने तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये साक्ष्य अंशो की पुष्टि तथा कार्यवृत्त के विन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, उन विन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या/सूचना प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा स्पष्ट मोहर सहित समिति के विचारार्थ 06-06 प्रतियों में शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, परन्तु वॉछित साक्ष्यों की पुष्टि एवं कार्यवृत्त में उलिलिखत बिन्दुओं की सूचना /अनुपालन आख्या अभी तक शासन को अप्राप्त है । उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 04-12-2019 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के अधिकांश बिन्दुओं पर कार्यवाही आपके कार्यालय स्तर से की जानी है। उक्त बैठक में दिये गये साक्ष्यों की पुष्टि एवं कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने के पश्चात मा0 सभापति महोदय को अवगत कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 28-01-2020, पत्र दिनांक 29-04-2020 एवं पत्र दिनांक 10-06-2020 के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2017-18) की दिनांक 04-12-2019 को सम्पन्न साक्ष्य बैठक की कार्यवाही में अपने तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये साक्ष्य अंशो की पुष्टि करते हुए कार्यवृत्त में उल्लिखित विन्दुओं की अनुपालन आख्या/सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा स्पष्ट मोहर सहित समिति के विचारार्थ 06-06 प्रतियों में शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वै०स०(का०पु०अनु०-4)

20/08/2020

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी

18/08/2020

भवदीय,

(प्रेम रंजन सिंह)
विशेष सचिव

संख्या- (1)/27-12-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, 2, 4, 7, 9, 10 एवं 13 को अनुसचिव, समिति (सामान्य) अनुभाग-1 के अ0शा0पत्र संख्या-276/38(अ0जा0) /89 दिनांक 14-01-2020 में मा0 समिति द्वारा जिन विन्दुओं पर सूचनाये/कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है, के सम्बन्ध में अपने-अपने अनुभाग से सम्बन्धित प्रकरण में कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा स्पष्ट मोहर सहित समिति के विचारार्थ 6-6 प्रतियों में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-12 को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

परि०स्टाफ अधि०(क्षे-5)

मु०अ० (कार्मिक स्तर-1)

आज्ञा से,

(विनोद कुमार दिवेदी)
अनु सचिव।

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक) स्तर-1
सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ
18/08/20

17/08/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ०प्र०,लखनऊ

17/08/2020